यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

दिनांक :–23-5-25

र्थना पत्र संख्या :– 37 / 2025

1. चुनदास पुत्र गोपालदास उम्र 40 वर्ष जाति साध निवासी ग्रम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

... अप्रार्थी .....

1. ओमदास पुत्र गोपालदास जाति साध निवासी ग्राम कातर छोटी, तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. पाना देवी पत्नी गोपालदास जाति साध निवासीनी ग्राम कातर छोटी, तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. राधा पुत्री गोपालदास जाति साध निवासीनी ग्राम कातर छोटी, तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

गौण–अप्रार्थीगण

"प्रार्थना पत्र वास्ते एक्स में संषोधन
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956"

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता गोपालदास पुत्र रामदास जाति साध की खातेदारी कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग का एक खेत खसरा संख्या 641/569, तादादी 05 बीघा 17 बिस्वा में से 2530 वर्गमीटर लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन प्रार्थी के पिता गोपालदास द्वारा दिनांक 14/07/2017 को करवाया गया था जिसके वर्तमान खसरा संख्या 646/641 तादादी 0.2529 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर में स्थित है। जिसमें से प्रार्थी के पिता ने अपने खेत भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित सड़क नोखा–सीकर से अपने खातेदारी खेत में से 145 फुट सड़क से छोड़कर व अपनी खेत भूमि में से सड़क सीकर–नोखा से उतरी तरफ संपरिवर्तन भूमि के बीचो–बीच 16 फुट का रास्ता छोड़ा गया था तथा उपरोक्त खसरा के उत्तरी तरफ भूमि तादादी 0.2529 हेक्टेयर लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व (भू.रू.)/2017/1210–1212 दिनांक 14/07/2017 जारीकर्ता श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बीदासर से जारीशुदा स्थित है। उक्त खेत खसरा की भूमि के खातेदार प्रार्थी के पिता गोपालदास की मृत्यु दिनांक 24/07/2020 को हो चुकी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

...दास के विधिक वारिस चुनदास की ओर से प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष ...त किया जा रहा है। अन्य सभी विधिक वारिसान बाहर रहने के कारण उन्हें ...ण–अप्रार्थीगण के रूप में प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी के पिता द्वारा जब संपरिवर्तन आदेश का नामान्तरकरण करवाने को लेकर पटवारी हल्का को जाकर दिया गया तो पटवारी हल्का ने मुताबिक आदेश नामान्तरण दर्ज किया व पटवारी हल्का ने नक्शा एक्स में भी तरमीम उसी समय कर दी थी, लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का ने नक्शा एक्स में तरमीम करते समय गलती से प्रार्थी का संपरिवर्तन आदेश व संलग्न नक्शा के अनुसार नक्शा एक्स में तरमीम नहीं कर गलत जगह नक्शा एक्स में तरमीम कर दी। जबकि प्रार्थी की तरमीम मुताबिक संलग्न नक्शा व संपरिवर्तन आदेश के अनुसार नोखा–सीकर सड़क से 145 फुट छोड़कर व प्रार्थी के पिता गोपालदास की भूमि में से 16 फुट के रास्ते की भूमि को छोड़कर मुताबिक संपरिवर्तन आदेश व संलग्न नक्शा अनुसार उतर दक्षिण में 78–78 फुट व पूर्व, पश्चिम में 349–349 फुट बराबर 2530 वर्गमीटर अर्थात् 0.2529 हेक्टेयर जिसके आसे–पासे उतर में प्रार्थी के पिता के खेत खसरा नम्बर 641/569 दक्षिण में रास्ता व प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 पूर्व में प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 तथा पश्चिम में सरकारी स्कूल, संलग्न नक्शा एक्स में तरमीम करनी थी, जबकि पटवारी हल्का ने नक्शा एक्स में गलत तरमीम कर दी। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व एक्स में संशोधन करवाकर खसरा नंबर 646/641 तादादी 0.2529 हैक्टेयर को वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन कर प्रार्थी के संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक वर्तमान खसरा नंबर 646/641 तादादी 0.2529 हैक्टेयर भूमि मे राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में संशोधन करवाने का प्रार्थी को अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थी के लघु औधोगिक संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक राजस्व एक्स में वर्तमान एक्स को संशोधन करते हुए दर्ज करे आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी व गौण–अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 पेरौकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थी कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। गौण–अप्रार्थीगण की विधिवत रूप से तामील होने के बाबजूद कोई उपस्थित नही बार–बार आवाजे लगवाई उसके बावजूद कोई उपस्थित नही। जिनके विरूद्व प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता गोपालदास द्वारा करवाये गये संपरिवर्तन आदेश व संलग्न नक्शा अनुसार उतर दक्षिण में 78–78 फुट व पूर्व, पश्चिम में 349–349 फुट बराबर 2530 वर्गमीटर अर्थात् 0.2529 हेक्टेयर जिसके आसे–पासे उतर में प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 दक्षिण में रास्ता व प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 पूर्व में प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 तथा पश्चिम में सरकारी स्कूल, संलग्न नक्शा एक्स में तरमीम करनी थी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नक्शा एक्स में गलत जगह तरमीम कर दी गई, जिसके कारण प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

...र मुताबिक लघु औद्योगिक संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक राजस्व एक्स में वर्तमान ... एक्स को संशोधित करते हुए संशोधन किया जाये। सुधारकर मुताबिक संपरिवर्तन ...देश के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे एक्स मे तरमीम को शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी के पिता गोपालदास रोही कातर छोटी के खसरा नंबर 646/641 तादादी 0.2529 हैक्टेयर गैर मुमकिन लघु औधोगिक का खातेदार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड के एक्स में तरमीम करते वक्त तरमीम सही नहीं की गई। प्रार्थी की संपरिवर्तन आदेश व संलग्न नक्शा अनुसार उतर दक्षिण में 78–78 फुट व पूर्व, पश्चिम में 349–349 फुट बराबर 2530 वर्गमीटर अर्थात् 0. 2529 हेक्टेयर जिसके आसे–पासे उतर में प्रार्थी के पिता के खेत खसरा नम्बर 641/569 दक्षिण में रास्ता व प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 पूर्व में प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 तथा पष्चिम में सरकारी स्कूल, संलग्न नक्शा एक्स में तरमीम करनी थी। इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड कि तरमीम के नक्शा एक्स में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी चुनदास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी भूमि रोही ग्राम कातर छोटी के मूल खसरा नंबर खसरा संख्या 641/569 तादादी 5 बीघा 17 बिस्वा है जिसमें से खसरा नंबर 646/641 तादादी 0.2529 हैक्टेयर गैर मुमकिन लघु औधोगिक भूमि का संपरिवर्तन किया हुआ है। प्रार्थी के गैर मुमकिन लघु औधोगिक के वर्तमान नक्शा एक्स को मुताबिक लघु औधोगिक संपरिवर्तन आदेश इस प्रकार संशोधित किया जावे कि उतर दक्षिण में 78–78 फुट व पूर्व, पश्चिम में 349–349 फुट बराबर 2530 वर्गमीटर अर्थात् 0.2529 हेक्टेयर जिसके आसे–पासे उतर में प्रार्थी के पिता के खेत खसरा नम्बर 641/569 दक्षिण में रास्ता व प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 पूर्व में प्रार्थी के पिता का खेत खसरा नम्बर 641/569 तथा पश्चिम में सरकारी स्कूल, संलग्न नक्शा एक्स में संशोधन किया जावे व वर्तमान राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में संशोधन किया जावे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28-5-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला ...
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर